ISBN: 978-93-93166-00-5

भारत में महिला मानवाधिकार: उद्भव एवं विकास

डॉ. रेणू मित्तल
सह आचार्य
राजनीति विज्ञान
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

नारी की महिमा अपरंपार है। उसके रूप अनेक हैं। वह जन्म देती है और जीवन भी। इस तरह वह नियामक है। उसमें अनेक भाव निहित हैं। अपने हर रूप, हर भाव में वह सृजन, चेतना और शक्ति की प्रतीक है। हमारे वेद और धर्मग्रंथ नारी शक्ति के योगदान से भरे पड़े हैं। स्त्री को पृथ्वी पर ब्रह्मा की प्रतिनिधि माना गया है। माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की मगर सृष्टि को चलाने का दायित्व स्त्री के जिम्मे सौंप दिया। उसकी सहभागिता के बिना इस सृष्टि का बचे रहना भी संभव नही। वह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। संसार के हर चर-अचर में सर्वश्रेष्ठ है।1सम्पूर्ण विश्व में मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों की स्वीकृति में ही महिलाओं के मानव अधिकार भी समाहित हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही शासन, युद्ध, कला व संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर विभिन्न सभ्यताओं के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है लेकिन ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप ही विद्यमान रहे हैं।

महिला को वो सभी मानवाधिकार प्राप्त हैं जो एक नागरिक होने के नाते मिलते हैं। विसंगति तब पैदा होती है जब संस्थागत आधार पर नहीं

ISBN: 978-93-93166-00-5

अपितु व्यवहारिक आधार पर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में इन अधिकारों का प्रयोग करते समय महिला को भेदभाव पूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः महिलाओं के मानवाधिकारों का प्रश्न आंशिक रूप से सार्वभौमिक एंव आंशिक रूप से सांस्कृतिक है। यद्यपि महिला पुरुष से प्राकृतिक रूप से भिन्न है किंतु इस भिन्नता को असमानता में प्रकृति ने नहीं अपितु सामाजिक संरचनाओं ने परिणित किया है अतः यह असमानता, अधिकारहीनता, अन्याय की स्थिति परिवर्तनीय है, यदि इसकी उचित व्याख्या एवं प्रतिरोध किया जाए। इस व्याख्या एवं प्रतिरोध का सुदृढ़ आधार है- महिला की मानव के रूप में स्वीकारोक्ति तथा उन सभी अधिकारों की वैधता जो मानवाधिकार के रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं। अतः यह निर्विवाद तथ्य होना चाहिए कि महिला अधिकारों का हनन मानवाधिकारों का हनन है, पंरतु ऐसा नहीं है। इस सामान्य, स्वाभाविक, सतही तौर पर निर्विवाद वक्तव्य के लिए कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए भी महिला आंदोलनों को लंबे संघर्ष की आवश्यकता पड़ी।

हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार यह पृथ्वी नारी शक्ति से ही चल रही है। भारतीय समाज में स्त्रियों को ज्ञान एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है। इन प्रतीकों के रूप में भारतीय समाज नारी को सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी के रूप में पूजता रहा है। सरस्वती रूप में नारी ज्ञान और शिक्षा के रूप में सृजन करती है।4 लक्ष्मी रूप में वह पालन करती है और महाकाली रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। इस प्रकार हर युग में राष्ट्र के साथ समग्र कल्याण की हेतु देवी रूप में नारी शक्ति ही रही है। इसीलिए तो वह ईश्वर की अनुपम कृति है। वह गंगा के समान पवित्र, पृथ्वी के समान उसमें धैर्य और हिमालय के समान दृढ़ है।

प्राचीन काल से ही महिलाएं भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग

ISBN: 978-93-93166-00-5

रही है। स्त्री अधिकारों की दृष्टि से जैसा कि विभिन्न शोधों से स्पष्ट हुआ है, वैदिक युग में स्त्रियों की प्रस्थिति सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में समानता पर आधारित थी। राजनीतिक सभाओं क्रियाकलापों में भी स्त्रियों की सक्रिय सहभागिता का उल्लेख मिलता है। वेदों की रचना में लगभग 200 श्लोकों का योगदान महिलाओं का माना गया है।

वैदिक युग में समृद्धि ज्ञान एवं शक्ति के दैवीय प्रतीकों लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के अतिरिक्त साहस एवं धर्म की प्रतीक पंचकन्याओं अहिल्या, तारा, मन्दोदरी, कुन्ती एवं द्रौपदी की अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था। इस युग में बालविवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था एवं महिलाओं को अपनी इच्छानुसार जीवनसाथी चुनने का अधिकार था तथा महिलाओं के अपमान को पाप समझा जाता था। इस प्रकार वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी, जहां वे पुरुषों के साथ गुरूकुल में अध्ययन कर सकती थी, अपने जीवनसाथी का चयन कर सकती थी अर्थात् पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकती थी।

उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं की प्रस्थिति अच्छी थी परन्तु इस काल में महिलाओं के लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेना सम्भव नहीं रहा, इनके वेदों के अध्ययन पर भी रोक लगा दी गयी। इस युग में बालविवाह एवं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बढा, विधवा विवाह पर भी प्रतिबन्ध लगे एवं अन्य स्वतन्त्रता पर भी बंधन लगा दिये गये। उत्तर वैदिक काल के बाद धर्मशास्त्र काल सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था।

इस युग में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई। इस काल में महिलाएँ गृहलक्ष्मी से याचक के रूप में दिखाई देने लगी एवं अत्यन्त

ISBN: 978-93-93166-00-5

निर्बल, असहाय तथा पराधीन हो गई। महिलाओं के लिए एकमात्र विवाह संस्कार ही रह गया और उनके सम्पत्ति के अधिकार भी छीन लिये गये, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा, जीवनसाथी चुनने का अधिकार छीना गया एवं पुरूष बहुपत्नी विवाह करने लगे। इस युग में महिलाओं की प्रस्थिति बहुत ही निम्न स्थिति में पहुंच गयी। पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों के अधिकारों का हनन करता गया और कभी सांस्कृतिक मूल्यों और कभी परम्पराओं के नाम पर स्त्री का शोषण किया गया। इन सबके परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बद् से बदतर होती चली गयी।

मध्यकाल में हिन्दू धर्म व संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गये जिससे उनकी स्थिति में और गिरावट आई। सामाजिक संरचना में जटिलता, कठोरता, संकीर्णता तथा अपारदर्शी व्यवस्थाओं का उद्भव हुआ एवं महिलाओं की स्वतन्त्रता का शनैः शनैः और अधिक हनन हुआ। महिलाओं की भूमिका को प्रजनन एवं पारिवारिकता तक सीमित किया जाने लगा। इस युग में पर्दाप्रथा, बालविवाह, धर्म परिवर्तन, विधवा उत्पीड़न, सती प्रथा, दहेज आदि कुरीतियों का प्रचलन बढ़ा। इन सभी के लिए यदि जिम्मेदार पुरूष थे तो स्वयं महिलाएं भी थी जो प्रतिद्वन्द्वी बनकर दूसरी महिला के दोहन और शोषण का कारण बनी।

इस प्रकार मध्यकाल महिलाओं के पतन का युग था एवं उनकी निम्न दशा की चरम सीमा थी। इस प्रकार उत्तरोत्तर रूप मे ज्यों-ज्यों समाजों, कालों में परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन होने लगा। धीरे-धीरे महिलाओं के अधिकारों में कमी होने लगी तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। उसे समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वह हकदार है। इसका प्रमुख कारण उसका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ापन रहा है।

ISBN: 978-93-93166-00-5

ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सामाजिक संरचना में बाहरी प्रभावों का सूत्रपात एवं दखल प्रारम्भ हुआ जिसने महिला प्रस्थिति के प्रश्नों को भी प्रभावित किया। इस काल में महिलाओं की दशा में कुछ सुधार हुआ और उन्हें आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार दिये गये, विधवा-पुनर्विवाह कानून एवं विवाह विच्छेद हेतु कानून लागू किये गये। बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने हेतु कानून बनाये गये। पर्दाप्रथा भी समाप्त होने लगी। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनेक महापुरुषों को संघर्ष करना पड़ा। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एवं महात्मा गांधी आदि ने पूरी शक्ति से महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की जिससे महिलाओं को बहुत सी सामाजिक और परम्परागत दासताओं और बन्धनों से छुटकारा मिला।

उन्नीसवीं सदी के वृहद समाज सुधार आन्दोलनों से पूर्व राजस्थान के खेजड़ली गाँव की अमृता देवी का नाम पर्यावरण चेतना के इतिहास में उल्लेखनीय है। किन्तु परिवर्तन के इस इतिहास लेखन में सामान्य इतिहास लेखन की ही तरह महिलाओं के योगदान को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। यत्र-तत्र कुछ नामों को छोड़कर महिलाएं इतिहास में अदृश्य हैं। महिला मानवाधिकार के क्षेत्र मे पंडिता रमा बाई, सावित्री बाई फुले, शिवन्तीबाई निकाम्बे, रानी चिमनबाई, महारानी सुनीति देवी, डॉ. रमा बाई, हीराबाई टाटा, लेडी दोराब टाटा एवं अन्य समर्पित महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इसके साथ ही सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गाँधी, रूकैयां हुसैन, हंसा मेहता, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी, कृष्णा नेहरू, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसफ अली एवं अन्य अनेक महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान गाँधीवादी आन्दोलन के तत्वावधान में एवं इसके समानान्तर महिला

ISBN: 978-93-93166-00-5

प्रश्नों पर संघर्ष को जारी रखा। साथ ही महिलाओं के लिए समान अधिकारों, विशेषतः राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष में माग्रेट कजिन्स, एनीबीसेन्ट, मगुधुलक्ष्मी रेड्डी, रामेश्वरी नेहरू, बेगम हामिद अली, राजकुमारी अमृत कौर तथा अनेकानेक महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। इन सभी के सहयोग से भारतीय महिला संघर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक न्याय एवं लैंगिक न्याय से सम्बद्ध संगठनों एवं संघर्षों से जुड़ाव रहा।

इसके साथ ही महिला आन्दोलन की बीसवीं सदी में भी महिला अधिकारों की प्राप्ति के लिए सामाजिक विधान पर भी जोर रहा और इसमें महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की। विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रतिषेध, विधवा विवाह, सती प्रतिबन्ध, सम्पत्ति विषयक उत्तराधिकार भरण-पोषण सभी क्षेत्रों में स्वाधीनता पूर्व भारत में सामाजिक विधान किया गया पर आम महिलाओं की प्रस्थिति में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। किन्तु इतना अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिए कि 1931 में लैंगिक असमानता के लिए उद्घोषित प्रतिबद्धता को स्वाधीन भारत के संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16, 328, 326 एवं अनुच्छेद 44 के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों के रूप में स्वीकार किया गया।

भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुष समता

हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव हमारे संविधान में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। भारत का संविधान जो सन् 1950 में अंगीकार किया गया, महिला-पुरुष समानता की दिशा में एक प्रगतिशील अभिलेख है जो न केवल महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार प्रत्याभूत करता है, बल्कि महिलाओं की मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक स्थिति को देखते हुये विशिष्ट प्रावधानों द्वारा उन्हें विशेषाधिकार भी प्रदान करता है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माता, महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने

ISBN: 978-93-93166-00-5

अनेक प्रावधानों द्वारा महिलाओं को संवैधानिक रूप से सशक्त करने के लिये उपबंध किये है।

संविधान निर्माताओं का प्रथम उद्देश्य, महिलाओं को अमानवीय स्थिति से निकालकर मानवीय धरातल पर रखना था। द्वितीय महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना व तृतीत महिलाओं को सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक व शैक्षिक, पृष्ठभूमि को देखते हुए अनेक संरक्षणात्मक प्रावधानों, विशेषाधिकारों द्वारा महिलाओं की संरक्षा, समानता एवं विकास को सुनिश्चित करना था। संविधान निर्माताओं के इन प्रयासों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही देखा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा, जैसे उच्च आदर्शों को बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्रदान करने की सइच्छा व्यक्त की है। उनके विचार में लैंगिक आधार पर भेद कदापि नहीं आया। समानता को समस्त संविधान के मूलसूत्र के रूप में स्वीकार किया गया है।

संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त महिलाओं को अधिकार प्राप्ति से संबंधित अन्य प्रावधानों ने भी 'समानता के अधिकार 12 को स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में 'नागरिकता का अधिकार " बिना किसी भेद-भाव के स्त्री-पुरुष दोनों को प्राप्त है। यह वर्ष 1950 में भारत में अपनाये गये संविधान के अन्तर्गत एक प्रगतिशील कदम था, क्योंकि महिलाओं को नागरिकों के रूप में सम्पूर्ण अधिकार ब्रिटेन व फ्रांस जैसे देशों में भी क्रमशः 1928, व 1945 में प्रदान किये गये थे।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ही छलांग में उस खाई को लाँघ लिया जो लम्बे समय से महिलाओं की दयनीय स्थिति का कारण रही

ISBN: 978-93-93166-00-5

थी। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री-पुरुषों दोनों को समान रूप से नागरिकता प्रदान करने का एक सकारात्मक परिणाम, महिलाओं को पुरुषों के समान मौलिक अधिकार प्रदान करने के रूप में सामने आया। महिला अधिकारों को संरक्षित करने तथा महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाली संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण निम्नवत् है -

अनुच्छेद-14-

संविधान के इस अनुच्छेद में व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया है। यह अनुच्छेद महिला तथा पुरुष दोनों के मामलों में लागू होता है।

अनुच्छेद-15-

इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य धर्म, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद-15 (3) में स्पष्ट रूप से स्त्रियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद-15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार अनुच्छेद- 15 (1) एवं 15 (2) एवं 15 (3), प्रदत्त समानता को अधिक सारभूत बना देते है। इसके अनुसार राज्य स्त्रियों के लिये विशेष उपबंध कर सकता है। यह उपबंध संविधान निर्माताओं की महिलाओं के विषय में व्यावहारिक सोच का परिणाम है। इसके अतिरिक्त जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब देश में महिलाओं की दशा भी अत्यन्त सोचनीय थी। वे न केवल पुरुषों पर आश्रित थी, वरन् बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों की शिकार थी। अतः महिलाओं को इन कुरीतियों से मुक्ति दिलाने हेतु संरक्षणकारी प्रावधानों की व्यापक आवश्यकता थी।

धारा-15 (3) के सकारात्मक परिणाम महिलाओं के संरक्षण व विकास से

ISBN: 978-93-93166-00-5

संबंधित कानूनों के रूप में आज हमारे सामने है।

अनुच्छेद-16 यह अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि

राज्य के अधीन किसी भी पद के नियोजन में नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।

1. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात होगा और न ही उससे विभेद किया जायेगा।
2. उपरोक्त दोनों उपबंधों से स्पष्ट होता है कि राजकीय नियुक्ति के संबंध में मात्र महिला होने के आधार पर कोई भेद नहीं किया जायेगा। नियुक्ति विषयक ऐसी कोई अयुक्तियुक्त शर्त भी अधिरोपित नहीं की जा सकेगी जो किसी महिला को मात्र महिला होने के आधार पर नियोजन अथवा नियुक्ति से वंचित कर दें।

अनुच्छेद-19- समानता के अधिकारों के समान ही अनुच्छेद-19 के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता स्त्री-पुरुष को समान रूप से प्रदान की गयी है।

अनुच्छेद-21- यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी महिला को शारीरिक क्षति पहुँचायी जाती है तो यह अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद-21 की व्याख्या करते हुये न्यायपालिका ने महिलाओं से संबंधित मामले में क्रान्तिकारी निर्णय दिये है।

अनुच्छेद-23 व 24: इस अनुच्छेद के द्वारा मनुष्यों एवं स्त्रियों को पशुओं की भाँति क्रय-विक्रय, स्त्रियों एवं बालकों के अनैतिक व्यापार, दासप्रथा, वेगार

ISBN: 978-93-93166-00-5

अथवा बलात्श्रम एवं बंधुआ मजदूरी इत्यादि पर रोक लगाये जाने का निर्देश है।उपरोक्त प्रावधान इस दृष्टि से महत्व रखते है कि महिलाओं का क्रय-विक्रय पशुओं की भाँति होता रहा है और अनेक स्थान पर अभी भी प्रचलन में है। इस अनुच्छेद के द्वारा समाज के बहुत बड़े कलंक को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। नारियों की खरीद-बिक्री अपेक्षाकृत बहुत कम हो गयी है, यद्यपि आज भी निर्धनता और विवशता नारी को देह व्यापार की ओर प्रवृत्त किये हुये है।

अनुच्छेद-32- संविधान द्वारा अधिकारों को प्रदान करने के साथ-साथ उसके संरक्षण को भी अनुच्छेद-32 के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। धारा-226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन एवं व्याख्या का विषय रहा है और महिलाओं के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुये न्यायालय केवल लिखित अधिकारों को प्रवर्तित करने तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि न्यायालय ने महिलाओं की गरिमा के संरक्षण के लिये मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है।

महिलाओं के अधिकारों के संबंध में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में भी स्त्री-पुरुषों के लिये समान आर्थिक प्रावधानों व स्त्री के लिये विशेष व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। यथा-

अनुच्छेद-39- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे (क) स्त्री-पुरुष दोनों के निर्वाह की स्थितियाँ बने (ख) स्त्री-पुरुष दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिल सके। (ग) श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था

ISBN: 978-93-93166-00-5

का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद-42- इस अनुच्छेद में राज्य को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश है जिससे महिलाओं को प्रसूतिकाल में वे सुविधाएँ मिल सके जो उन्हें मानवीय आधार पर मिलनी चाहिये।

अनुच्छेद-45- यह अनुच्छेद यह निर्देश देता है कि राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चैदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

साथ ही संविधान के अनुच्छेद-51 (क) में नागरिकों के लिये कतिपय मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गयी है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अतः स्थापित किये गये इस अनुच्छेद के भाग (ड) में नागरिकों से कहा गया है कि वे ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो । राजनीतिक क्षेत्र में इसे स्थानीय शासन के अंतर्गत महिलाओं को दिये गये आरक्षण के अंतर्गत देखा जा सकता है।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में क्रमशः अनुच्छेद 243 (घ) तथा 243 (न) द्वारा आरक्षित तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। लगभग 28 वर्षों से चल रही इस व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहा है। साथ ही, वर्तमान समय में संसद एवं विधान मण्डल में भी महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुच्छेद-330 व अनुच्छेद-332 (क) के अंतर्गत संविधान संशोधन के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 325 एवं 326 निर्वाचक नामावली में महिला और पुरुषों को समान रूप से मत देने

ISBN: 978-93-93166-00-5

और चुने जाने का अधिकार देता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक मानव होने के नाते महिला के भी वही अधिकार हैं, जो कि पुरुष के, यदि इस अवधारणा को विश्व स्तर पर पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो आज महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास विश्व स्तर पर चल रहे हैं उनसे संबंधित समस्याओं का स्वतः हो समाधान हो जाएगा। किंतु जहाँ मानव अधिकारों की अपरिहार्यता पर दीर्घकालिक संघर्ष के बावजूद आम सहमति संभव हो सकी है, वहीं अधिकारों की आवश्यकता, प्रकृति और उनकी सही रूप में क्रियान्विति के विविध पक्षों पर आज भी विवाद बना हुआ है। तथापि आज वर्तमान समय में विश्व में महिलाओं के समुचित विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है।

इसी आधार पर 21वीं शताब्दी को महिलाओं की शताब्दी के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। चाहे विकसित देश हो या विकासशील महिलाएं पुरुषों के साथ कदम मिलाकर अपनी अन्तर्निहित क्षमता व आत्मविश्वास और साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व हेतु सफल प्रयास कर रही है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए विश्व में सभी जगह प्रयास किये जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. *शर्मा, शिवदत्त, मानवाधिकार, विधि साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ० 2.*
2. *डॉ. उपाध्याय जयराम, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद 2007 पृ. 2.*
3. *डॉ. त्रिपाठी, टी.पी., मानव अधिकार' इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, 2009.*

ISBN: 978-93-93166-00-5

4. *राजकिशोर (सम्पादित), मानवाधिकारों का संघर्ष, वाणी प्रकाशन पृ. 37 व 38.*
5. *कपूर, ए.सी., राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त, एस. चांद कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड नई दिल्ली, 1987, पृ. 210.*
6. *मनि, बी. एस., रीजनल एप्रोच टू दी इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इण्डियन जनरल ऑफ इण्टरनेशनल लॉ, वाल्यूम 27, 1981, पृ. 96.*
7. *स्वरूप, जगदीश, ह्यूमन राइट्स एण्ड फन्डामेन्टल फ्रीडम्स, एस. चांद कम्पनी (प्रा)लिमिटेड नई दिल्ली, 1975, पृ. 12.*
8. *अग्रवाल, एच. ओ., अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, सेन्ट्रल एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2000 पृ. 657,658.*